तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र संख्या 218/2024 GCMS NO. 2024/473
उनवानी जितेन्द्र कुमार सैनी बनाम राजस्थान सरकार
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956
बाबत नक्शा दुरूस्ती

08.11.2024

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा है कि राजस्व ग्राम जसरापुर तहसील खेतडी स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.29 हेक्टेयर को नक्शा शीट में खसरा नम्बर 2086 रकबा 0.06 हेक्टेयर की जगह एवं हाल खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.29 हेक्टेयर की जगह तरमीम करवाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं तहसीलदार खेतडी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि गत खसरा नम्बर 1021 मीन से हाल खसरा नम्बर **2086 रकबा 0.06** हेक्टेयर व अन्य खसरा नम्बर 2083 रकबा 0.12 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 2401/2316 रकबा 0.05 हेक्टेयर तथा गत खसरा नम्बर 1023 मीन से हाल खसरा नम्बर **2085 रकबा 0.29** हेक्टेयर निर्मित हुये है, जो नक्शा सीट सन् 1979 से 80 में अपने स्थान पर सही अंकित है लेकिन सेग्रिगेशन में जो नक्शा तैयार किया गया है उस नक्शे में खसरा नम्बर 2086 के स्थान पर 2085 व 2085 के स्थान पर 2086 अंकित कर दिया गया है,जो गलत अंकित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/4107 दिनांक 23.09.2024 में की गई अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाल ऑनलाईन (सेग्रीगेशन) नक्शा दुरूस्त किये जाने योग्य है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व ग्राम जसरापुर तहसील खेतडी के हाल ऑनलाईन (सेग्रीगेशन) नक्शा को गत नक्शा शीट सन् 1979–80 के अनुसार अर्थात हाल खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.29 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 2086 रकबा 0.06 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 2086 रकबा 0.06 हेक्टेयर के स्थान पर खसरा नम्बर 2085 रकबा 0.29 हेक्टेयर दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का तहसीलदार खेतडी को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू0अ0) खेतडी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(बन्शी धर यादव)
उपखण्ड अधिकारी खेतडी
जिला नीमकाथाना (राज0)
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Banshi Dhar Y
Date: 2024.12.09 17:19:53 IST
Reason: SelfAttested